

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर हि

फर्द अहकाम

दिनांक

19/2/18

पत्रवली प्रस्तुत/पीठासन अधिकारी महोदय को प्रेषित / अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रवली पूर्व दिशानुसार दिनांक 25/2/18 को प्रेषित है।

18/01/19

not press

by

~~18/01/19~~

पत्रवली सापलान वकील के प्रार्थनापत्र पर पेशी पर ली गई। जरिये प्राप्त अलग कानून है कि सापलान प्रमाण के अभाव में प्रमाण नहीं चाहते हैं प्रार्थनापत्र अत्याधिक विवेधाना के Not Press के स्वार्थि भ्रमण चार्ज अतः प्राप्त अत्याधिक विवेधाना Not Press के स्वार्थि किम जाता है। पत्रवली के तल मुद्रा देकर नया से काम की जाकर दायित्व इफ्तल की जावे। शामिल हनपिहा। मूल डाका रहे।

उपसंह अधिकारी  
हिण्डौन